रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1983/वैशाख 3, 1905
No. 191] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1983/VAISAKHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1983

का० आ० 327(अ).—केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम 1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस० वी० एस० शर्मा, उप सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, श्री एच० सी० खन्ना, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण और श्री एच० डी० पिल्लै, अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, दिल्ली को दिल्ली परिवहन

निगम बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है और भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 305(ई) दिनांक 4 मई 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 में मद (iv) और (vii) के बदले निम्नलिखित नाम रखे जाएंगे :—

(iv) श्री एस० वी० एस० शर्मा,
उप सचिव (वित्त)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।

vii) श्री एच० सी० पिल्लै
अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, दिल्ली

मद (vii) के बाद निम्नलिखित रखे जाएंगे :—

"(viii) श्री एच० सी० खन्ना
उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।"

[फा० सं० टी० जी० डी० (22)/82]

गोविन्द जी० मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1983

S.O. 327(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri S. V. S. Sharma, Dy. Secy. Ministry of Shipping & Transport, Shri H. C. Khanna, Vice-Chairman, DDA, and Shri H. D. Pillai, Additional Commissioner of Police, Delhi, as Directors of the Delhi Transport Corporation Board and make the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 305(E), dated the 4th May, 1982, namely :—

In the said notification in para 1 against the items (iv) and (vii), the following shall be inserted :

(iv) Shri S. V. S. Sharma,
Deputy Secretary (Finance),
Ministry of Shipping & Transport,
New Delhi.

(vii) Shri H. D. Pillai,
Addl. Commissioner of Police, Delhi.

The following shall be inserted after item (vii):

"(viii) Shri H. C. Khanna,
Vice-Chairman,
Delhi Development Authority, New Delhi."

[F. No. TGD(22)/82]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983